राजस्थान सरकार)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारीः– हेमन्त कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद सं.– 159/2022 जीसीएमएस नम्बर :– 2022/460

सत्यवीर सिंह पुत्र मनीराम उम्र 65 साल जाति जाट निवासी मोई सद्दा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं राज0

................वादी

बनाम

1. जगदीश पुत्र स्व0 गुरूदयाल उम्र 27 साल जाति जाट निवासी मोई सद्दा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं राज0
2. मनिषा पुत्री गुरूदयाल पत्नी वीर सिंह उम्र 35 साल जाति जाट निवासी मोई सद्दा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं राज0 हाल आबाद खिमाउ तहसील राजगढ जिला चुरू राज0
3. दक्ष पुत्र सुनिता दोहिता स्व गुरूदयाल नाबालिग जरिये पिता राजेश कुमार जाति जाट निवासी नुनिया गोठड़ा तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं राज0
4. साक्षी पुत्री सुनिता दोहिता स्व गुरूदयाल नाबालिग जरिये पिता राजेश कुमार जाति जाट निवासी नुनिया गोठड़ा तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं राज0
5. दिपांशु पुत्र सरोज दोहिता स्व गुरूदयाल पुत्र मनोज जाति जाट निवासी देवलावास तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज0
6. दिपिका पुत्री सरोज दोहिता स्व गुरूदयाल पुत्री मनोज जाति जाट निवासी देवलावास तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज0
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बुहाना तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं राज.

.......प्रतिवादीगण

उपखण्ड अधिकारी बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज.)

दावा बाबत– खाता विभाजन

–:निर्णयः– दिनांकः– 11/07/24

(1). वादी का वादपत्र रहा किः–

1. यह कि वाके ग्राम मोई सद्दा तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज0 स्थित भूमि जमाबन्दी संवत 2075 से 2078 के हाल खाता संख्या 93 के ख0 न0 265 रकबा 0.80 हैक्टर में वादी 3/7 भाग की भूमि का विधिवत क्रेता खातेदार कास्तकार दर्ज रिकार्ड है। शेष भूमि में प्रतिवादी सख्या 1 व प्रतिवादी सख्या 2 प्रत्येक का 1/7, 1/7 भाग के खातेदार दर्ज रिकार्ड है व प्रतिवादी सख्या 3 व 4 की माता मनीषा पुत्री गुरूदयाल का 1/7 हिस्सा दर्ज रिकार्ड है जिसकी वर्ष पूर्व मृत्यु हो चुकी है जिसके प्रतिवादी सख्या 3 व 4 विधिक वारिसान है तथा 1/7 हिस्सा प्रतिवादी सख्या 5 व 6 की माता श्रीमति सरोज देवी के नाम दर्ज रिकार्ड है जिसकी भी वर्ष पूर्व मृत्यु हो चुकी है जिसके प्रतिवादी सख्या 5 व 6 विधिक वारिसान है।
2. यह कि वादी व प्रतिवादी सख्या 1 व 2 ने उपरोक्त वाद वर्णित भूमि का आपसी में मौखिक बंटवारा कर रखा है लेकिन उक्त भूमि का विधिवत खाता विभाजन नहीं हुआ है इसलिए वादी वाद वर्णित भूमि में अपनी खातेदारी भूमि 3/7 हिस्से का विकास नहीं कर पा रहा

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemant Kumar
Date: 2024.08.28 11:25:01 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

है तथा बिना विधिवत खाता विभाजन हुए पक्षकारान में उक्त भूमि में अपने हिस्से की भूमि की म्याल सींव आदि को लेकर आये दिन झगड़ा होता रहता है इसलिए वादी उपरोक्त भूमि अपने हिस्से की भूमि का खाता विभाजन करवाना चाहता है जिसकी वादी विधिक रूप से अधिकारी है।

3. यह कि वादी ने प्रतिवादीगण को गत सप्ताह उपरोक्त भूमि का खाता विभाजन करवाने के लिए कहा तो सभी प्रतिवादीगण वादी से झगड़ा करने लग गये और प्रतिवादीगण व उसके परिवारजन चाचा ताउ आदि ने वादी को धमकी दी कि वे वादी के 3/7 हिस्से पर लठ के बल पर अतिक्रमण करेगे और वादी को उसके 3/7 हिस्से की भूमि को काश्त भी नहीं करने देगे। जिस पर वादी ने प्रतिवादी सख्या 1 व अन्य के विरूद्व थाना सिंघाना में शिकायत की जिस पर उनके विरूद्व थाना सिंघाना में 107, 116 व 151 के तहत परिवाद पेश किया जिस पर कार्यपालक मजिस्ट्रेट महोदय बुहाना द्वारा उन्हे शान्ति बनाये रखने के लिए पाबंद किया है। इसलिए वादी के लिए यह आवश्यक हुआ है कि वह प्रतिवादी सख्या 1 लगायत 6 के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करे। जिसका वादी विधिक अधिकारी है जिसके लिए वादी उक्त दावा श्रीमान जी के समक्ष पेश करता है।

4. यह कि आधार विवाद गत सप्ताह वादी द्वारा प्रतिवादीगण को खाता विभाजन के लिए कहने व प्रतिवादीगण द्वारा खाता विभाजन करवाने से इन्कार करने व वादी को वाद वर्णित भूमि में उसके हिस्से की भूमि पर जबरन कब्जा करने व रोकने पर जान से मारने की धमकी देने से पैदा हुआ जो सावधि है

5. यह कि यदि प्रतिवादी अपने मनसुबों में कामयाब हो जाते है और वे वादी की भूमि के 3/7 भाग पर जबरन कब्जा कर लेते है तथा वादी को उसके हिस्से की भूमि में कास्त करने में बाधा डालते है तो वादी को अपूर्तनीय क्षति होगी। जिसका मुद्रा में मूल्यांकन नहीं किया जा सकेगा।

6. यह कि वाद वर्णित भूमि में वादी का 1/3 हिस्सा है तथा प्रतिवादी सख्या 1 व 2 का प्रत्येक का 1/7 भाग है इसलिए वादी का प्रथम दृष्टता मामला है और सुविधा का सन्तुलन भी वादी के पक्ष में है।

उपखण्ड अधिकारी बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज.)

वादी द्वारा अनुतोष चाहा गया किः–

(क). यह वाके ग्राम मोई सद्दा तहसील बुहाना जिला झुझुनूं राज0 में स्थित भूमि जमाबन्दी सवत् 2075 से 2078 के हाल खाता संख्या 93 के ख0 न0 265 रकबा 0.80 हैक्टर में वादी के 3/7 भाग का खाता अलहेदा कायम किया जाकर लगान भी अलहदा कायम किया जावे तथा उसी अनुसार वादी का खाता विभाजन कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर वादी के 1/7 भाग भूमि की पत्थरगढी कर कब्जा वादी क करवाया जावे।

(ख). कि प्रतिवादी सख्या 1 लगायत 6 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वाके ग्राम मोई सद्दा तहसील बुहाना जिला झुझुनूं राज0 में स्थित भूमि जमाबन्दी संवत 2075 से 2078 के हाल खाता संख्या 93 के हाल खसरा नम्बर 265 रकबा 0.80 हैक्टर में वादी के 3/7 भाग की भूमि का काश्त करने व फसल काटने से ना रोके व उसकी उक्त भूमि पर जबरन कब्जा ना करे, ऐसा करवाने का प्रयास नहीं करे तथा ना ही अपने रिश्तेदारों मिखें आदि करावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemant Kumar
Date: 2024.08.28 11:25:01 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

बहस विद्वान अधिवक्ता वादीगण सुनी गई। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 बावजूद सम्यक तामील अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही दिनांक 07.08.2023 को अमल में लाई गई। व प्राथमिक डिक्री दिनांक 07.08.2023 को की गई। तथा तहसीलदार बुहाना को विभाजन प्रस्ताव हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 515 दिनांक 29.08.2023 के द्वारा भिजवाया गया। तहसीलदार बुहाना के पत्रांक 540 दिनांक 21.12.2023 के द्वारा विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुए शामिल पत्रावली हुए विभाजन प्रस्ताव का अध्ययन किया गया प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा खाता विभाजन, विभाजन प्रस्ताव अनुसार करने हेतु निवेदन किया । किसी ने ऐतराज पेश नही किया है।

बहस के अनुसार ,शपथ पत्र , दस्तावेज, सहमति से प्राप्त कुर्रे प्राप्त पर कोई एतराज नही किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात, वादपत्र के अभिवचनों का ध्यान पूर्वक अवलोकन एवं मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी संवत् 2075–2078 वाके ग्राम मोई सद्दा स्थित भूमि हाल खाता संख्या 93 में वादी के दर्ज हिस्से व मौका कब्जे काश्त अनुसार वाद वादी स्वीकार कर अंतिम डिक्री किया जाना न्यायोचित पाया जाता है।

–::आदेश::–

''न्यायालय वाद वादी बाबत खाता व लगान विभाजन डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः वाके ग्राम मोई सद्दा तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज0 स्थित भूमि जमाबन्दी संवत 2075 से 2078 के हाल खाता संख्या 93 के ख0 न0 265 रकबा 0.80 हैक्टर में वादी 3/7 भाग की भूमि का विधिवत क्रेता खातेदार कास्तकार दर्ज रिकार्ड है। भूमि का कब्जे कास्त के अनुसार खाता विभाजन किया जाकर अलग से लगान कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। भूमि का खाता एवं लगान विभाजन मुताबिक तहसीलदार बुहाना को विभाजन प्रस्ताव हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 515 दिनांक 29.08.2023 के द्वारा भिजवाया गया। तहसीलदार बुहाना के पत्रांक 540 दिनांक 21.12.2023 के द्वारा विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुए। विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श ''अ–1 लगायत अ–4'' व नक्शा प्रदर्श ''ब'' के वाद को अंतिम डिक्री किया जाता है। अतः मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श ''अ–1 लगायत अ–4'' व नक्शा प्रदर्श ''ब'' के अलग–अलग खाता कायम किया जाकर आनुपातिक लगान अलग–अलग कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। विभाजन प्रस्ताव ''अ–1 लगायत अ–4'' व नक्शा प्रदर्श ''ब'' इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार बुहाना को रिकॉर्ड में अमल करने हेतु लिखा जावे। रहन यदि कोई हो तो सम्बन्धित खातेदार काश्तकार को प्राप्त होने वाले रकबे/हिस्से/खसरा नम्बर के हिस्से में दर्ज किया जावे। पर्चा डिक्री जारी हो।''

(हेमन्त कुमार)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुंझुनूं (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Hemant Kumar
Date: 2024.08.28 11:25:01 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक 11/7/24 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर इस न्यायलय के मुद्राकित सरे इजलास सुनाया गया।

(हेमन्त कुमार)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुंझुनूं (राज.)

उपखण्ड अधिकारी बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज.)

मूल वाद में (अंतिम) डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)

पीठासीन अधिकारी:— हेमन्त कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद सं.— 159 / 2022 **जीसीएमएस नम्बर :— 2022 / 460**

सत्यवीर सिंह बनाम जगदीश आदि

दावा बाबत— खाता विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा

—:निर्णय:—

वादी की ओर से **श्री महावीर चौधरी एडवोकेट** की प्रतिवादीगण की अनुपस्थिती में इस वाद को **हेमन्त कुमार उपखण्ड अधिकारी, बुहाना** के समक्ष अंतिम डिक्री के निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि—

''न्यायालय वाद वादी बाबत खाता व लगान विभाजन डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः वाके ग्राम मोई सद्दा तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज0 स्थित भूमि जमाबन्दी संवत 2075 से 2078 के हाल खाता संख्या 93 के ख0 न0 265 रकबा 0.80 हैक्टर में वादी 3/7 भाग की भूमि का विधिवत क्रेता खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। भूमि का कब्जे कास्त के अनुसार खाता विभाजन किया जाकर अलग से लगान कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। भूमि का खाता एवं लगान विभाजन मुताबिक तहसीलदार बुहाना को विभाजन प्रस्ताव हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 515 दिनांक 29.08.2023 के द्वारा भिजवाया गया। तहसीलदार बुहाना के पत्रांक 540 दिनांक 21.12.2023 के द्वारा विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुए। विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श ''अ—1 लगायत अ—4'' व नक्शा प्रदर्श ''ब'' के वाद को अंतिम डिक्री किया जाता है। अतः मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श ''अ—1 लगायत अ—4'' व नक्शा प्रदर्श ''ब'' के अलग—अलग खाता कायम किया जाकर आनुपातिक लगान अलग—अलग कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। विभाजन प्रस्ताव ''अ—1 लगायत अ—4'' व नक्शा प्रदर्श ''ब'' इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार बुहाना को रिकॉर्ड में अमल करने हेतु लिखा जावे। रहन यदि कोई हो तो सम्बन्धित खातेदार काश्तकार को प्राप्त होने वाले रकबे/हिस्से/खसरा नम्बर के हिस्से में दर्ज किया जावे। पर्चा डिक्री जारी हो।''

खर्चा पक्षकारान अपना—अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 11/7/24 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

उपखण्ड अधिकारी, बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Hemant Kumar
Date: 2024.08.28 11:25:01 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना